<u>शुद्धिपत्र</u>

रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित दिनांक 28.12.2019 का विज्ञापन संख्या रा.आ.बैंक / मां.सं.एवं प्रशा./भर्ती/2019/06 और दिनांक 04.01.2020 के रोजगार समाचार पत्र में एमएमजीएस- II (उप प्रबंधक), एमएमजीएस- III (प्रबंधक), एसएमजीएस- V (सहा. महाप्रबंधक) एवं टीईजीएस- VI (मुख्य जोखिम अधिकारी) अधिकारियों की भर्ती का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

इस संबंध में, निम्नलिखित पर एमएमजीएस-II (उप प्रबंधक) के पद के लिए आवेदन किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचना प्रदान करने हेतु अधिसूचित किया जाता है

1. चयन पद्धति

एमएमजीएस-II (उप. प्रबंधक) के पद हेतु चयन दो टीयर प्रोसेस यानी ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा

<u>ऑनलाइन लिखित परीक्षा 28 मार्च, 2020 यानी शनिवार को होगी।</u>

अभ्यर्थियों को दिनांक 05.03.2020 से 11.03.2020 तक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा।

<u>ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का चयन करने हेतु स्तरों का पालन किया जाए-</u>

अभ्यर्थी ***राष्ट्रीय आवास बैंक*** *की वेबसाइट* <u>www.nhb.org.in</u> *के* ***"Opprortunities@NHB" → "वर्तमान रिक्तियां "→ स्केल II, III, V एवं VI में अधिकारीयों की भर्ती*** *सेक्शन में क्लिक कर* ***→ ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का चयन करने के लिए यहाँ क्लिक करें;*** *जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।*

अभ्यर्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवंटित पंजीकरण संख्या और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा, जिससे एक नई स्क्रीन खुलेगी। अभ्यर्थी केंद्रों की सूची से अपना ***परीक्षा केंद्र*** *चुने और सबमिट करें।*

इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी, जो लिपिक और / या प्रतिपूरक समय के लिए पात्र हैं, तदनुसार विकल्प चुनें।

ऑनलाइन परीक्षा हेतु केंद्रों की सूची निम्नानुसार है-

क्र.सं.	केंद्रों के नाम	क्र.सं.	केंद्रों के नाम
1.	अहमदाबाद	7.	लखनऊ
2.	बैंगलूरू	8.	मुम्बई/नवीं मुम्बई/ग्रेटर मुम्बई
3.	चेन्नई	9.	नागपुर
4.	हैदराबाद	10.	नई दिल्ली - एनसीआर
5.	जयपुर	11.	पटना
6.	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता		

टिप्पणी :

i. बैंक किसी भी केन्द्र को रद्द करने और/ या प्रत्युत्तर के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा आदि के कारण कुछ अन्य केन्द्र को जोड़ने का अधिकार रखता है।

ii. बैंक को अभ्यर्थियों द्वारा चयनित केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य केन्द्र आबंटित करने का भी अधिकार है।

iii. स्थान/तारीख/परीक्ष सत्र को बदलने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में अपने जोखिम और व्यय पर, जो कुछ भी हो, शामिल होंगे, इसके लिये किसी भी क्लेम पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। रा.आ. बैंक किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की चोट या नुकसान आदि के लिये भी उत्तरदायी नहीं होगा।

v. अभ्यर्थी द्वारा एक बार चुना गया केन्द्र फाइनल होगा।

vi. यदि अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या 'ऑनलाइन' परीक्षा हेतु विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं तो रा.आ. बैंक के पास उन अभ्यर्थियों को कोई अन्य सहायक केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा यदि अभ्यर्थियों की संख्या केंद्र में ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपलब्ध क्षमता से अधिक है तो रा.आ. बैंक के पास कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।

vii. परीक्षा हॉल में किसी भी अभद्र व्यवहार/ दुर्व्यवहार के कारण उम्मीदवारी को रद्द/ उस परीक्षा के अयोग्य घोषित तथा आईबीपीएस/राआबैंक द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है।

viii. ऑनलाइन परीक्षा के लिए केंद्र का चयन करने में असफल होने वाले अभ्यर्थी को बैंक द्वारा निर्णीत परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा।

चरण I: ऑनलाइन परीक्षा

ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा शामिल होगी।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 200 अंक होंगे, समय 2 घंटा और उसमें 5 खण्ड होंगे। ऑनलाइन परीक्षा की संरचना निम्नानुसार होगी।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th colspan="2">परीक्षा का नाम</th><th>प्रश्नों की सं.</th><th>अधिकतम अंक</th><th>परीक्षा का माध्यम</th><th>अवधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="3">सामान्य जानकारी*</td><td>तर्कशक्ति</td><td>25</td><td>25</td><td>अंग्रेज़ी व हिंदी</td><td rowspan="5">2 घंटे का समग्र समय</td></tr>
<tr><td>2</td><td>संख्यात्मक अभिरूचि</td><td>25</td><td>25</td><td>अंग्रेज़ी व हिंदी</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अंग्रेजी भाषा</td><td>25</td><td>25</td><td>अंग्रेज़ी</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">सामान्य जानकारी (अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान)</td><td>25</td><td>25</td><td>अंग्रेज़ी व हिंदी</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="2">व्यवसायिक अभिरूचि (जोखिम, क्रेडिट तथा लेखा परीक्षा)</td><td>50</td><td>100</td><td>अंग्रेज़ी व हिंदी</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल</td><td>150</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
</table>

**प्रकृति में अर्हकारी* →

**प्रकृति में अर्हकारी*

तर्कशक्ति, संख्यात्मक अभिरूचि एवं अंग्रेजी भाषा परीक्षा निर्धारित प्रकृति के होंगे। इन पेपरों में अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने होंगे। बैंक द्वारा न्यूनतम निर्धारित अंक निर्णीत किए जाएंगे।

साक्षात्कार के लिए सामान्य जानकारी और व्यवसायिक अभिरूचि परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक केवल अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग हेतु उपयोग किए जाएंगे। साक्षात्कार में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थियों को सामान्य जानकारी और व्यवसायिक अभिरूचि परीक्षा हेतु बैंक द्वारा निर्णीत कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।

अंतिम चयन केवल साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर होगा।

चरण II: साक्षात्कार

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम निर्धारित अंक बैंक द्वारा निर्णीत होंगे। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

मेरिट लिस्ट: चयन के लिए मेरिट लिस्ट केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी कट-ऑफ अंक (कट-ऑफ पॉइंट पर सामान्य अंक) स्कोर करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट में, अवरोही क्रम में उनकी आयु के अनुसार रैंक दी जाएगी।

बैंक को परीक्षा की प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार है जिसकी सूचना बैंक की वेबसाइट पर दी जाएगी। परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी एक इंफार्मेंशन हैंडआउट में दी जाएगी, जिसे अभ्यर्थियों के लिए प्राधिकृत रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in से ई-कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

1. **परीक्षा की संबंधित तिथि और सत्र के लिए वैध ई-कॉल लेटर।**
2. **ई-कॉल लेटर / आवेदन प्रपत्र में जो नाम दिया गया है वही नाम मूल फोटो-पहचान प्रमाण (जैसा कि निर्दिष्ट है) में होना चाहिये तथा**
3. **फोटो-पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी (जैसा कि ऊपर (2) में उल्लिखित)**

परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर पर विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के पश्चात यानी देर से रिपोर्टिंग करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के शुरू होने के समय से पूर्व का है। हालांकि ऑनलाइन परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, अभ्यर्थियों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे सत्यापन और विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों के संग्रह, लॉग इन करना, निर्देश देना आदि हेतु आवश्यक समय सहित लगभग 2:30 घंटे या उससे अधिक समय के लिए परीक्षा स्थल पर होना अपेक्षित है।

गलत उत्तरों के लिए पेनल्टी: -वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प होंगे, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत चिन्हित उत्तरों के लिए पेनल्टी होगी। प्रत्येक गलत चिन्हित उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंको के एक चौथाई अंक काट कर सही

योग ज्ञात होगा। यदि कोई प्रश्न छोड़ दिया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर चिन्हित नहीं किया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई पेनल्टी नहीं होगी।

अंक

- प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा भिन्न खण्डों में प्राप्त सही योग (यदि हो) को इक्वि-पर्सेंटाइल विधि से सामान्यकृत किया जाएगा।
- दशमलव अंक तक स्कोर को गणना में शामिल किया जाएगा।

2. पहचान सत्यापन

i. प्रदान किये जाने वाले दस्तावेज

साक्षात्कार के समय, ई-कॉल लेटर के साथ अभ्यर्थी की फोटो की पहचान (ई-कॉल लेटर पर दिखाई देने वाले नाम जैसा ही हो) जैसे पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर कार्ड/ बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित/ राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो पहचान साक्ष्य/ फोटोग्राफ के साथ जनप्रतिनिधि / मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र/ फोटोग्राफ के साथ आधार / ई-आधार /कर्मी पहचान पत्र को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अभ्यर्थी की पहचान को उपस्थिति सूची और प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों में ई-कॉल लेटर पर उसके विवरण के संबंध में सत्यापित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध पाई गई तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को वैध आईडी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
- **जिन अभ्यर्थियों ने अपना नाम बदल दिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे अपना मूल विवाह प्रमाण पत्र / मूल में शपथ पत्र आदि जैसे आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।**

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को मूल में समान नाम वाला फोटो पहचान प्रमाण लाना होगा जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र / ई-कॉल लेटर में है और परीक्षा में भाग लेने के दौरान परीक्षा ई-कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii. बायोमैट्रिक डेटा – संकलन एवं सत्यापन

ऑनलाइन परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों की फोटोग्राफ के साथ बायोमेट्रिक डेटा (सीधे अंगूठे का निशान या अन्यथा) को संकलित और सत्यापित करने का निर्णय लिया गया है।

कृपया ध्यान दें: बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ को निम्नलिखित स्थिति में संकलित / सत्यापित किया जाएगा -

(i) ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने से पहले इसे संकलित किया जाएगा।
(ii) परीक्षा हॉल / लैब से बाहर आने से पहले ऑनलाइन परीक्षा के अंत में उसे स्थल पर ही संकलित और सत्यापित किया जाएगा।

ऐसी स्थिति (मेल या बेमेल) के संबंध में बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय अभ्यर्थियों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। उपर्युक्त किसी भी स्थिति में बायोमेट्रिक डेटा संकलन / सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करने से अभ्यर्थिता रद्द हो जायेगी।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें -
- यदि उंगलियां कोटेड (मुद्रांकित स्याही / मेहंदी / रंगीन आदि), हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धोयें ताकि परीक्षा / साक्षात्कार / नियुक्ति से पहले कोटिंग पूरी तरह से हट जाए।
- यदि उंगलियां गंदी या मैली हैं, तो उन्हें धोयें और फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) कैप्चर करने से पहले उन्हें सुखा लें।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हैं। यदि उंगलियां नम हैं, तो उन्हें सुखाने के लिए प्रत्येक उंगली को पोंछें।

यदि अंगुली (दाएं हाथ का अंगूठा) जख्मी / क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत परीक्षण केंद्र में संबंधित प्राधिकरण को सूचित करें।

iii. परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित सामान ले जाने की अनुमति नहीं है:-

क) कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागजात, जीमेट्री / पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन / स्कैनर आदि।
ख) कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफ़ोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि।
ग) अन्य आइटम जैसे गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, कैप, आदि।
घ) रिंग, इयररिंग्स, नोज-पिन, चेन / नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रोच आदि जैसे सभी आभूषणों को अच्छी तरह से जांचा जाये।
ङ) कोई भी वॉच / रिस्ट वॉच, कैमरा, आदि।
च) कोई भी धातु की वस्तु।
छ) कोई भी खुली हुई या बंद खाने की वस्तु, पानी की बोतल आदि।
ज) कोई भी अन्य वस्तु जिसका उपयोग संचार साधनों जैसे कैमरा, ब्लू टूथ डिवाइस आदि को छिपाने के लिए के लिए किया जाता है।

इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी और पुलिस से शिकायत की जायेगी।

अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा स्थल पर न लाएं, क्योंकि उनको सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आईबीपीएस या ऑनलाइन परीक्षा के संचालन से जुड़ी कोई भी एजेंसी किसी भी वस्तु के नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेगी। वस्तुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लागत या बिना लागत के अभ्यर्थियों की ही होगी।

iv. कदाचार/ अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई

ऑनलाइन परीक्षा के समय, यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (अथवा पाया गया) -

(i) अनुचित साधनों का प्रयोग अथवा
(ii) छद्म वेष अथवा किसी व्यक्ति द्वारा छद्म वेष का धारण करना अथवा
(iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार या किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी तरीके से मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या मकेलिनकल किसी भी रूप में पूरी तरह से या आंशिक रूप में कोई भी जानकारी या परीक्षा की सामग्री का खुलासा, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, संचारण और भंडारण अथवा

(iv) अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी भी अनियमित अथवा अनुचित तरीक़ों का सहारा लेने अथवा

(v) अनुचित तरीके से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने अथवा

(vi) परीक्षा / साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन अथवा इस तरह के संचार उपकरण ले जाने वाले अभ्यर्थी खुद को आपराधिक मुक़दमे के अतिरिक्त निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होंगे:

क) परीक्षा चयन प्रक्रिया से अयोग्यता का पात्र बनेंगे जिसके वे अभ्यर्थी हैं

ख) आईबीपीएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में या तो हमेशा के लिए या निर्धारित अवधि के लिए निषिद्ध कर दिए जाएंगे।

ग) यदि वे बैंक की किसी सेवा में पहले से शामिल हो गए/गयी हैं, तो उस सेवा से उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण: रा.आ.बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ वैयक्तिक अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं (उत्तर) का विश्लेषण करेगा। यदि रा.आ.बैंक द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान / निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिक्रियाएं / उत्तर साझा किये गये हैं और प्राप्त किए गए अंक वास्तविक / वैध नहीं हैं, तो रा.आ.बैंक बिना किसी नोटिस के संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करने का अधिकार रखता है और ऐसे अभ्यर्थियों (अयोग्य) का परिणाम रोक दिया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

vii. ई- कॉल लेटर

ऑनलाइन परीक्षा के लिए केंद्र, स्थल का पता, तिथि और समय ई-कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा।

योग्य अभ्यर्थी अपने विवरण यानी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करके रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in से अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड करें। ई-कॉल लेटर / सूचना हैंडआउट आदि की कोई हार्ड कॉपी डाक / कुरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / एसएमएस द्वारा भी सूचना भेजी जाएगी। आईबीपीएस / रा.आ.बैंक मोबाइल नंबर, ईमेल अड्रेस में परिवर्तन, तकनीकी खराबी या अन्यथा आईबीपीएस / रा.आ.बैंक के नियंत्रण से बाहर अभ्यर्थी को ई-मेल / एसएमएस द्वारा भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति / गैर-प्राप्ति की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विवरण, अपडेट एवं किसी भी जानकारी जो कि आगे की मार्गदर्शन हेतु अद्यतित की

जाएगी के लिए रा.आ.बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in देखते रहें, साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर अपने पंजीकृत ई-मेल अकाउंट को देखते रहें।

3. लेखक का उपयोग एवं प्रतिपूरक समय:

दृष्टिबाधित अभ्यर्थी और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी लेखन की गति किसी भी कारण से व प्रतिकूल तरीके से हमेशा के लिये प्रभावित हुई है, वे ऑनलाइन परीक्षा के समय अपने खर्च पर अपने स्वयं के लेखक का उपयोग कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जहां लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

i. अभ्यर्थी को अपने निजी खर्च पर अपने लेखक का प्रबंध करना होगा।

ii. अभ्यर्थी और लेखक दोनों को परीक्षा के समय पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ निर्धारित प्रारूप में एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि बाद में यह पाया जाता है कि उन्होंने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या भौतिक तथ्यों को दबाया है तो आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, चाहे परीक्षा का परिणाम कुछ भी क्यों न हों।

iii. ऐसे अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग करते हैं, वे परीक्षा के प्रत्येक घंटे में 20 मिनट या अन्यथा यथासूचित प्रतिपूरक समय के लिये पात्र होंगे।

iv. अभ्यर्थी द्वारा व्यवस्था किये गये लेखक ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और लेखक दोनों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पात्र हैं और परीक्षा में लेखक की सेवा का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सावधानीपूर्वक इस बात का उल्लेख करना होगा। बाद में किये गये किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

v. केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही ऐसी छूट की अनुमति होगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा, यदि उन्होंने इसके लिये पंजीकरण नहीं करवाया है तो परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के लिये इस समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

vi. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित सहित चालन संबंधी दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश -

चालन संबंधी दिव्यांगता एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट या अन्यथा यथासूचित प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जायेगी जहाँ लेखन कार्य निष्पादन के धीमा होने की सीमा (न्यूनतम 40% की हानि) तक प्रभावित

होती है।

vii. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश -

क. दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जो 40% से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को बड़े फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी हर घंटे के लिये 20 मिनट या परीक्षा में अन्यथा सूचित प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

ख. जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी परीक्षा के लिए लेखक की सेवा का उपयोग करते हैं उन्हें बड़े फ़ॉन्ट में परीक्षा की सामग्री को देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

viii. कोई भी अभ्यर्थी जो लेखक का उपयोग कर रहे हैं उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में लेखक के उपयोग हेतु पात्र है। कोई भी अभ्यर्थी जो उपरोक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में लेखक का उपयोग करते हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जायेगा और यदि उन्होंने बैंक की सेवा ग्रहण कर ली है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के सेवा से निकाला जा सकता है।

ix. नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार के दिनांक 26 फरवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 16-110 / 2003- DDIII के माध्यम से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अभ्यर्थी को लेखक का उपयोग करने की अनुमति होगी।

ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश / स्पष्टीकरण यदि कोई हैं, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

भर्ती के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

नई दिल्ली
04.03.2020

ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का चयन करने के लिए यहां क्लिक करें

उप महाप्रबंधक
मानव संसाधन एवं
प्रशासन विभाग

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी मूल पाठ ही मान्य होगा।